न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 353-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–07–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 57/अपील/2013–14.

1– श्रीशंकर आत्मज स्व0 परमसुख
निवासी ग्राम वासनियाकलॉ तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0
2– श्रीनारायण आत्मज स्व0 परमसुख
निवासी ग्राम वासनियाकलॉ तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0
3– श्रीहरिनारायण आत्मज स्व0 परमसुख
निवासी कस्वा रेहटी तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0
4– श्रीमती सरजूबाई बेवा स्व0 परमसुख
निवासी ग्राम वासनियाकलॉ तहसील रेहटी
जिला सीहोर म0प्र0

------आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कोकिला पत्नि श्री मिश्रीलाल
पुत्री स्व0 परमसुख
निवासी कोठी बाजार होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद म0प्र0

------अनावेदक

.....

श्री मंगलसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रत्नाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 01/08/2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय

अधिकारी बुदनी जिला सीहोर के आदेश दिनांक 22–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका कोकिलाबाई ने ग्राम वासनियाकला तहसील रहेटी की विचाराधीन भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी कमांक 5 पर पारित आदेश दिनांक 20–6–1994 से असंतुष्ट होकर एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 57/अपील/2013–14 पर प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई की गई। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22–7–14 के द्वारा अनावेदिका की अपील के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण आहूत करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अभिमाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र में नामांतरण पंजी कमांक 34 पर पारित आदेश दिनांक 20–6–1994 की जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाय है। इतने लम्बे विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया, इसके पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदिका को नामांतरण पंजी कमांक 4 पर पारित आदेश दिनांक 20–6–94 की जानकारी पूर्व से ही थी क्योंकि उपरोक्त भूमि के अलावा ग्राम नादियाखेडा खालसा तहसी लरेहटी की भूमि के संबंध में नामांतरण पंजी कमांक 19 पर पारित आदेशदिनांक 3–7–94 के संबंध में अनावेदिका द्वारा दिनांक 27–2–09 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसमें उपरोक्त अपील दिनांक 30–11–09 तक प्रचलित रही, जो दिनांक 30–11–09 को अनावेदिका की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दी गई। इससे यह प्रकट होता है कि अनावेदिका को उक्त नामांतरण की जानकारी तत्समय से थी। वर्ष 1994 से 2014 तक अर्थात 20 वर्ष के हुए विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इतने लम्बे विलम्ब को समयावधि में मानने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–7–14 निरस्त किया जाये।

4– अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि मृतक की अनावेदिका के अलावा 3 पुत्रिया समलीबाई, सुलोचना तथा रामरती बाई भी है जबकि नामांतरण संशोधन पंजी पर पुत्रियां नहीं है, जबकि वे नामांतरण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थी। हितबद्ध व्यक्तियों को बिना पक्षकार बनाये एवं सूचना दिये गये आदेश की जानकारी अनावेदिका को नहीं थी। जानकारी प्राप्त होने पर संशोधन पंजी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि के अन्दर मानकर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण वापस किया जाये।

5– उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि स्व0 परमसुख के उत्तराधिकारी में पुत्रों के अलावा पुत्रियां भी हैं जिन्हें संशोधन पंजी पर हुये फौती नामांतरा में छोड दिया गया है, जो विधिक त्रुटि है। विधान में पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। हितबद्ध व्यक्ति को बिना सूचना दिये पारित आदेश के विरूद्ध जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील को समय–सीमा में मान्य किया जा सकता है। इस संबंध में 2005 आर एन 184 भाई साहब तथा अन्य विरूद्ध बेनी सिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "धारा –5–विलंब की माफी – व्यथित पक्षकार यद्यपि हितबद्ध को कभी सूचना नहीं दी गई–आदेश की जानकारी होने पर अपील फाइल कर सकता है – 12 वर्ष के विलंब की माफी ठीक ही आदेशित की गई।"

इसी प्रकार 1994 आर एन 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– "धारा –5– परिसीमा का प्रश्न –

आदेश अधिकारिता रहित ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है – परिसीमा का वर्जन नहीं।

स्पष्ट है अनावेदिका द्वारा नामांतरण पंजी पर हुये नामांतरण की जानकारी प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर का आदेश दिनांक 22–7–2014 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,